न्यायालय नायबतहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
शिमला मीणा (आरटीएस)
दिनांक 30.7.2020

मि.न.35 / 2020

सरकार बनाम जगदीश
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भालोजी ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम दादूका तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1184 / 0.37है0 किस्म बारानी–3 मेंसे 0.05 है0पर जगदीश पुत्र मूलचन्द कोम बलाई ने बाजरा की फसल कास्त् कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल जगदीश उपस्थित आये। गैर सायल को वास्ते जवाब अवसर दिये जाने पर भी कोई जवाब पेश नहीं किया गया ना ही कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जिसके आधार पर गेर सायल को अनुतोष दिया जा सके। हमने पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों पर गौर किया तो विवेचन पाया कि गैर सायल का अतिक्रमण सिद्व होता है जबकि खसरा नंबर 1184 / 0.37 है0 वाके ग्राम दादूका की किस्म बारानी–3 जो साबी नदी परियोजना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अतः अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैर सायल जगदीश पुत्र मुलचन्द जाति बलाई निवासी दादूका तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम दादूका तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1184 / 0.37 है0,किस्म जमीन बारानी–3 मे से 0.05है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

आराजीयात पर बोई गई बाजरे की फसल को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी .0.10रू. का पचास गुणा 5रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली,फसल निलामी के आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 30.7.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2020-21... 0.......... के रा० लै० 4
के पृष्ठ संख्या 14 पर 5 रु
रुपये कायम किये गये ।

राजस्व लिपिक
कोटपूतली

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA